न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/350/2017

उनवान

1. श्रीमती मगदू पुत्री पोखर पत्नी छमु गुर्जर निवासी दांतडा हाल निवासी करणगढ तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. नारायण पिता स्व0 गोपी गुर्जर निवासी दांतडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती नेनी पुत्री स्व0 गोपी पत्नी लेहरू गुर्जर निवासी दांतडा हाल निवासी मोहरा पोस्ट जालरिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा (मृतक प्रतिवादी संख्या 1 गोपी पिता पोखर गुर्जर निवासी दांतडा के वारिसान)
3. मांगी लाल पिता पोखर गुर्जर निवासी दांतडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 667/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017

अधिवक्तागण :—

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एस एल आगाल अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या1, 2
3. श्री संजय सेन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया /वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दांतडा पटवार हल्का दांतडा तहसील आसीन्द की साबिक आराजी नम्बर 627/415 रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 332 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 1 बीघा 10 बिस्वा , आराजी नम्बर 333 रकबा 1 बीघा राजस्व रेकार्ड में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता पोखर पिता भैरा गुर्जर के नाम जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है। खातेदार मृतक पोखर का सजरा निम्नानुसार है :–

पोखर

सरजु पुत्री मृत | गोपी पुत्र | मगदू पुत्री मांगीलाल

हाल भू प्रबन्ध में वादग्रस्त साबिक आराजियात नम्बर 627/415 रकबा 7 बीघा 8 बिस्व के नये नम्बर आराजी नम्बर 230 रकबा 0.28, आराजी नम्बर 231 रकबा 0.14, आराजी नम्बर 232 रकबा 0.18, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.11, आराजी नम्बर 234 रकबा 0.87 कुल किता 05 कुल रकबा 1.58 है0 दर्ज किये गये । वादग्रस्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी होकर पोखर के समय की है। पोखर के देहान्त के पश्चात आराजियात विरासत से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पुश्तैनी आराजियात में विरासती वारिस है परन्तु हाल सेटलमेण्ट में भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बिना विरासत की जांच किये गलत एवं अवैध रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अकेले गोपी के नाम दर्ज कर दी । जिसे विरासत से वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बराबर हक हिस्से की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

कराने के अधिकारी हैं। वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने से वह पुश्तैनी आराजियात को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात को विक्रय कर दिया जाता है तो वादिया अपने हक से महरूम हो जायेगी जिसकी पूर्ति किया जाना कतई संभव नहीं है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 31.7.2014 को वादग्रस्त आराजियात में अपना नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने मना कर दिया एवं अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी दी । अतः बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाये कि वादग्रस्त आराजियात को विक्रय अथवा खुर्द बुर्द नहीं करें। साथ ही वादग्रस्त आराजियात जो कि पुश्तैनी है जिसमें वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जाकाश्त है। जिसमें वादिया का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हक हिस्सा है । उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देवें तो वादिया के हक हिस्से पर बेअसर घोषित कराया जावे एवं कब्जेकाश्त से बेदखल कर देवे तो प्रतिवादीगण के खर्चे पर कब्जा दिलाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने के बावजूद निर्धारित अवधि गुजरने के तक प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादिया का वाद अबेट होना मानते हुए वाद पत्र खारिज किया। जिससे व्यथिकर होकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादिया/अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 30.6.2017 को उक्त वाद की पत्रावली लोक अदालत कैम्प दांतडा बांध पर रखने की कोई जानकारी सूचना पत्र के माध्यम से वादिया या वादिया के अधिवक्ता को नहीं दी गई थी जिससे वादिया को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी । काफी अर्से तक वादिया को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी । वादिया ने काफी अर्से के बाद अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर निर्णय की प्रति हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 7.11.2017 को निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि विादया ने प्रतिवादीगण गोपी, मांगी लाल पिता पोखर जी गुर्जर एवं राजस्थान सरकार के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया । जिसमें अंकित किया कि पोखर जी के दो पुत्र गोपी व मांगी लाल व दो पुत्रियॉ सरजू व मगदू पैदा हुए जिसमें से प्रतिवादी नम्बर 1 गोपी व सरजू का देहान्त हो गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्व0 गोपी के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 नारायण व 2 श्रीमति नैनी है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से पोखर जी की मृत्यु के बाद विरासत से विधिवत जांकर कर नामान्तकरण नहीं खोला गया । भू प्रबन्ध अधिकारियों ने विरासत की जांच किये बिना व सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना पोखर जी के नाम की सारी भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 गोपी के नाम पर दर्ज कर दी जबकि वादिया मगदू व प्रतिवादी संख्या 2 मांगी लाल भी स्व0 पोखर जी के पुत्र एवं पुत्री होने से गोपी के साथ–साथ उनका नाम भी उक्त आराजियात में दर्ज होना चाहिये था। वादिया का नाम भी वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हक हिस्से से दर्ज करने हेतु वादिया द्वारा निवेदन किया एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का भी वाद पत्र में कथन अंकित करते हुए निवेदन किया गया था।

6. अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 11.12.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । दिनांक 4.2.2016 की पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 गोपी की ओर से एडवोकेट श्री दौलतराज नागौडा का अधिकार पत्र पेश हुआ और आगामी पेशी जवाब दावा पेश करने के लिए नियत की गई। इसके बाद किसी न किसी कारण से पेशियॉ बदली जाती रही और दिनांक 6.3.2017 की पेशी पर आगामी पेशी दिनांक 12.6.2017 नियत की गई।

7. दिनांक 12.6.2017 को उक्त पत्रावली संख्या 667/2014 पेशी पर नहीं ली गई और बताया गया कि न्याय आपके द्वार अभियान में अगर पत्रावली कैम्प कोर्ट पर रखी जायेगी तो दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिये जायेगें। उसके उपरान्त दिनांक 30.6.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प दांतडा बांध पर तलब कर ली गई

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किन्तु इस पेशी की कोई भी सूचना वादिया व वादिया के अधिवक्ता को नहीं दी गई और यह लिखकर वाद खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 गोपी के सम्मन पर रिपोर्ट आई थी कि उसका करीब 6 माह पूर्व देहान्त हो चुका है जिसकी जानकारी पक्षकारान द्वारा आज दिनांक तक भी नहीं दी गई तथा अधिवक्ता द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 का पेश नहीं किया गया है जबकि प्रकरण में किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना मय वारिसान न्यायालय को देने की जिम्मेदारी होती है किन्तु अब तक कायम मुकाम का कोई भी प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में पेश नहीं किया गया है जिससे वादिया का उक्त वाद पत्र अबेट हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता का यह दायित्व है कि वे अपने पक्षकार की मृत्यु हो जाने की सूचना न्यायालय को दे और उस मृतक पक्षकार के वारिसान की सूची भी न्यायालय में प्रस्तुत करे किन्तु इस मामले में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने न्यायालय के इस तरह की कोई सूचना नहीं दी है। वादिया को भी प्रतिवादी संख्या 1 गोपी की मृत्यु की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि ई वर्षो से उसकी प्रतिवादी नम्बर 1 गोपी व उसके परिवार से बोल चाल बंद थी और न ही वे किसी भी प्रसंग या त्यौंहार पर वादिया को अपने यहॉ बुलाते थे, ऐसी परिस्थिति में चूंकि वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 गोपी की मृत्यु की जानकारी नहीं थी और न ही प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने नियत अवधि में न्यायालय को ऐसी कोई जानकारी दी जिससे वादिया नियत अवधि में आदेश 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सकी। इन परिस्थितियों में वाद को खारिज नहीं किया जा सकता है बल्कि सर्वप्रथम प्रतिवादी की मृत्यु होने पर उसके अधिवक्ता द्वारा उसकी मृत्यु की जानकारी व उसके वारिसान की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिये थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी कर वादिया का वाद अबेट होना मानकर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादिया का वाद पत्र खारिज किया जो एक गंभीर भूल है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त वाद में केवल मात्र एक ही प्रतिवादी नहीं था बल्कि अन्य प्रतिवादी मांगी लाल व राजस्थान सरकार भी प्रतिवादी के रूप में रेकार्ड पर थे जिससे किसी एक प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने से वाद अबेट नहीं किया जा सकता है और ऐसे मामलों में सर्वप्रथम मृतक प्रतिवादी की जानकारी व उसके वारिसान की सूची न्यायालय में मृतक प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत होनी चाहिये थी और उसके बाद 90 दिन का समय वादिया को उस मृतक प्रतिवादी के वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिया जाना चाहिये था किन्तु ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन पर आई रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो एक गंभीर कानूनी त्रुटि है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मामले में गुणावगुण पर निस्तारण कराये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्तागण ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निवेदन किया साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में निर्णय की अपील पोषणीय नही है अपीलार्थी द्वारा निर्णय के साथ डिक्री की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। अतः अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर अवधि मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है ।

11. अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 30.6.2017 (आदेशिका पर अंकित) की सत्यप्रति प्रस्तुत की गई। अपील के साथ निर्णय की प्रति प्रस्तुत की गई परन्तु डिक्री की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। इस बाबत अपलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील मेमों के पेज संख्या 4 पर अंकित किया गया कि ''अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में डिक्री नहीं बनाई है इसलिए प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।''

12. न्यायालय हाजा में उन्हीं वाद पत्र की अपील पोषणीय है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय एवं डिक्री पारित गई हो। परन्तु अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अंकित निवेदन **''अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में डिक्री**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं बनाई है इसलिए प्रस्तुत नहीं की जा सकी है।" के मध्यनजर अपील दर्ज रजिस्टर कर ली गई। उसके उपरान्त अधिवक्ता द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय के साथ ही डिक्री पारित किये जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं न ही डिक्री प्राप्त किये जाने बाबत कोई प्रयास किया हो इस बाबत कोई तथ्य दस्तावेज ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री मूर्तिब नहीं की जाती तो न्यायालय हाजा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किये गये हों ऐसा पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो में डिक्री जारी नहीं किये जाने का अंकन मात्र कर देने से अपीलाण्ट डिक्री प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते हैं। अपीलाण्टगण द्वारा डिक्री प्राप्त करने के कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में डिक्री के अभाव में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य पाते है। अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय में डिक्री प्राप्त करने की कार्यवाही कर डिक्री प्राप्त होने पर पुनः अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

14. निर्णय आज दिनांक 24.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा